

प्ररूप 21
[नियम 19(3)]

देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक के लिए सामाजिक जांच के आदेश

सेवा में,

बाल कल्याण अधिकारी / सामाजिक कार्यकर्ता / मामले से संबंधित कार्यकर्ता / गृह-प्रभारी / गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31 (2) के अंतर्गत..... (बालक का नाम), आयु..... (लगभग) सुपुत्र / सुपुत्री
.....निवासीसे संबंधित एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसे

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, प्राप्त हुई है।

आपको निदेश दिए जाते हैं कि उपर्युक्त बालक के संबंध में प्ररूप 22 के अनुसार सामाजिक जांच की जाए। आपको यह भी निदेश दिए जाते हैं कि कथित बालक की सामाजिक-आर्थिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी जांच-पड़ताल की जाए। आपको निदेश दिए जाते हैं कि सामाजिक जांच रिपोर्ट (तारीख) को या इससे पूर्व प्रस्तुत कर दी जाए।

तारीख:

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति